01. कोयली पत्नी हड़मानराम गोदारा पुत्री हनुमानराम जाति विश्नोई, निवासी- हमीर नगर फींच, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
02. गोलीदेवी पत्नी मगनाराम खावा पुत्री हनुमानराम जाति विश्नोई, निवासी- सालोड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।
03. हवली पत्नी भंवरलाल पुत्री हनुमानराम जाति विश्नोई, निवासी- कागनाड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
04. मंगली पत्नी पोकरराम विश्नोई, निवासी- हनुमानराम जाति विश्नोंई निवासी- कागनाड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
05. इमरती देवी पत्नी हनमानराम जाति विश्नोई, निवासी- गोलिया मगरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
06. मोहनराम पुत्र विरदाराम जाति विश्नोई निवासी- 85 विश्नोईयों की ढाणियां सतलाना तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मुकनाराम पुत्र धूड़ाराम जी जाति विश्नोई निवासी- गोलिया मगरा, हाल आईटीआई कॉलेज के पास ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

01. भलाराम पुत्र हनुमानराम
02. पप्पाराम पुत्र हनुमानराम
03. चन्द्राराम पुत्र विरदाराम
    जाति विश्नोई, निवासी- गोलिया मगरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर
04. श्यामलाल उर्फ सांवलराम पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई, निवासी- गोलिया मगरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपर।
06. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा लूणी जरिये प्रबंधक।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 11

राजस्व अपील प्राधिकारी

अप्रैल 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49ए/2018
मुकनाराम बनाम भलाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री मोतीसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री, सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 17 नवंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49ए/2018 मुकनाराम बनाम भलाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 24 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खेत खसरा नं. 321/243 मौजा गोलिया मगरा तहसील लूणी में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नं. 245 में सें 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2022 को प्रत्यर्थी संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कटाण रास्ते के बाबत कोई बातचीत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी

हुई है। प्रार्थी ने झूठ बोलकर माननीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया है। रेस्पोडेंट के आने जाने हेतु पहले से ही कदीमी रास्ता खसरा नं. 244 के पास में सें मौजूद है जो आज भी आवागमन हेतु चालू है, परन्तु जानबूझ कर प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट में मौके पर चालू रास्ते का अंकन नहीं किया गया। कार्यालय तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये क्रमांक/भू.अ./2021/401 दिनांक 11.02.2021 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि ग्राम गोलिया मगरा का खसरा नं. 245 में प्रस्तावित रास्ता ए से बी मौके पर 35 गट्टा लंबाई व राजस्व नक्शा अनुसार 45 गट्टा लंबाई है। रास्ता चौड़ाई नाप 15 फीट प्रस्तावित है। सी सें डी मौके पर डामर सड़क है। मौके पर रास्ते का रकबा 4 बिस्वा बनता है, जबकि रेकर्ड अनुसार 5 बिस्वा 19 बिस्वांशी बनता है। उक्त तहसीलदार लूणी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है एवं भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एकतरफा व मनमानी है। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपीलांट्स अपने परिवार के पालण पोषणा के लिए अलग अलग गांवों में रहते है। रेस्पोडेंट्स ने जानबूझ कर सम्मन गलत पते पर भर कर एक ही व्यक्ति से तामील करवा कर पेश किये है, जबकि तामील करने वाला व्यक्ति न तो अपीलांट्स के साथ उनके परिवार में रहता है एवं न ही तामीलकर्ता ने अपीलांट्स को इसकी सूचना दी। अधीनस्थ न्यायालय ने असम्यक तामील के आधार पर अपीलांट्स के विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित करके अवैधानिक आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्षय दायर प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स की सकूनत, रहवास एवं वल्दियत को भी मिथ्या लिखते हुए नोटिस तामील कराना बताया है वहां पर अपीलांट्स का रहवास नहीं है। सबूत के लिये अपील के साथ अपीलांट्स के आधार काड की प्रति पेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो. ने गलत नजरी नक्शा पेश किया, जिसके आधार पर निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित कर दिया है जो काबिले अपास्त के है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते समय वैकल्पिक रास्ते एवं खसरा संख्या 220 से निकटतम दूरी व रेस्पोडेंट की बनी हुई ढाणियों पर आवागमन हेत चालू रास्ते के संबंध में तथ्य छिपाये गये है। इस प्रकार से धारा 251ए के आधारभूत सिद्धांतों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। रेस्पोडेंट मुकनाराम ने ही प्रार्थना पत्र संख्या 78/2017 अनवान मुकनाराम बनाम मोहनराम पेश किया था एवं समान तथ्यों के आधार पर ही अपीलाधीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जबकि पूर्व का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2022 को ही खारिज किया जा चुका है।

वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस निवेदन किया कि रास्ता खसरा नं. 245 एवं खसरा नं. 238 की माठ के सहारे-सहारे दिया जावे ताकि सभी पक्षकारान् को रास्ता मिल सके।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 19.06.2022 को हुई, इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्याय हित में अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2022 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा बताये गये रास्ते के विकल्प में खसरा नं. 244 गैर मुमकिन ढाणी में अपीलांट्स के, मकान एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

टांके इत्यादि पक्के निर्माण बने हुए है। गैर मुमकिन ढाणी की किस्म की भूमि में सें कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन अपीलांट्स के भाई से तामील हुए है तथा अपीलांट मोहनराम द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब भी प्रस्तुत किया गया तथा चाराजोही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधि होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में विलंब का प्रश्न है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जताते हुए तथा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मौका फर्द दिनांक 25.01.2021 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं. 321/243 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता मार्क ए से बी निकतम एवं लघुतम रास्ता है। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 245 एवं 238 की उभयनिष्ठ सीमा पर रास्ता देने के लिए तैयार है। जिस पर वकील रेस्पोडेंट्स तर्क एवं उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत छायाचित्र मुताबिक खसरा नं.245 एवं 238 की उभयनिष्ठ सीमा सीधे खसरा नं. 321/243 से जुड़ी हुई नहीं है तथा खसरा नं. 244 गैर मुमकिन ढाणी उक्त वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी

रास्ते के बीच में पड़ता है। खसरा नं. 244 में अपीलांट्स के मकानात् एवं टांके बने हुए है। खसरा नं. 244 की भूमि खाली नहीं होने तथा कानूनी रूप से भी गैर मुमकिन किस्म की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया विचारण न्यायालय कयी पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स के सम्मन उनके भाई से तामील तथा अपीलांट मोहनराम द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत अपीलाधीन रास्ता निकटतम एवं लघुतम होने तथा अपीलांट द्वारा बताये गये रास्ते विकल्प पर उनके आवास एवं निर्माण होने सें प्रथमदृष्टया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ता विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर